

प्रेषक,

श्री अशोक मांगुली,  
उप सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
शिक्षा केन्द्र 2 समुदाय केन्द्र,  
प्रौद्योगिक विहार, नई दिल्ली ।

विधा 17 : अनुभाग

संख्या: दिनांक: 26 नवम्बर, 1993

विषय:- श्री गुरुराम राय पब्लिक स्कूल पटेलनगर, देहरादून को सी०बी०एस्०ई० नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनुदान प्रदान करने के संबंध में ।  
संदर्भ,

उपरोक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री गुरुराम राय पब्लिक स्कूल पटेलनगर, देहरादून को सी०बी०एस्०ई० नई दिल्ली से सम्बन्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आम तौर पर नहीं है ।

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सीताइटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 3- विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से वार्षिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कोटिल फार दि इंडियन स्कूल सर्टीफिकेट इन्वैजामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बन्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 5- संस्था के अधिक एवं अधिकतर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त विभिन्न संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुसन्ध पेंशनमानों तथा अन्य भत्तों से कम पेंशनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।



- 6- कर्मचारियों को सेवा में बनायी जायेगी और उन्हें तहायता प्रोत्त आगतकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगे।
- 7- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगे तैस्या उनका पालन करेगी।
- 8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- 9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा।
- 2- तहायता प्रदान किये जाने के पूर्व कृपया यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि विद्यालय के कर्मचारियों के लिए लागू की गई सेवा नियमावली मानकानुस्य है।
- 3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना तैस्या के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि तैस्या द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जाता है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की वृक या शिथिलता धरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

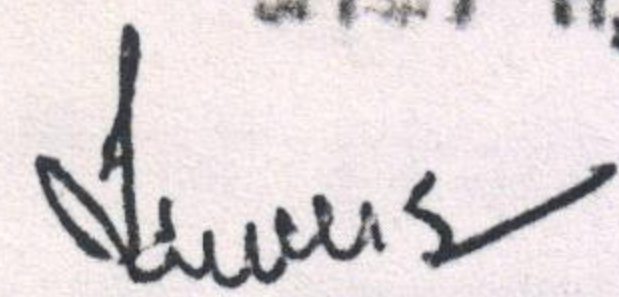
अशोक गोगुली।  
उप सचिव।

पुणे 5324111/15-7-1993 तददिनांक  
=====

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाय र्वं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, देहरादून।
- 4- निरीक्षक, अंगित भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- प्रबन्धक, श्री गुरुराम पब्लिक स्कूल पटेलनगर, देहरादून।

आका ते,



अशोक गोगुली।  
उप सचिव।